नियमित
20.6.2025

2025/368

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

बीरजाराम बनाम भागीरथ

मुकदमा किस्म 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 83 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.06.2025	प्रार्थी बीरजाराम ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।	
9.6.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। पत्रावली [illegible] दिनांक 10.6.2025 को पेश हो	
10.6.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। पत्रावली [illegible] पेश किया। दिनांक 11.6.2025 को पेश हो	
11.6.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रतावली वास्ते निर्णय आईन्दा तारीख 20.6.2025 को पेश हो।	
20.6.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। प्रतावली का अवलोकन किया गया। प्रतावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अप्रार्थी के जवाब आदि के आधार प्रार्थी का दावा [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] कि अप्रार्थी मूल वाद के [illegible] खसरा नं. 4 में वर्णित भूमि के रिकार्ड [illegible] यथास्थिति बनाये रखे व बहन बैम बनने से निषेध रहे। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, पैक रण, रोडा रास्ता आदि पर लागू नहीं होगी। प्रतावली नम्बर से नम्बर जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.30 15:52:00 IST
Reason: SelfAttested